न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2017

अनवान

1. श्री धन्ना पुत्र श्री छीतर
2. कल्याण पुत्र श्री श्योचन्द

जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील–अॅराई जिला–अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक कुमार, पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ।
2. हेमराज पुत्र रामलाल
3. रघुनाथ पुत्र रामा

जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अरॉई जिला–अजमेर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला–अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर। ....अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री सुमित जैन — अभिभाषक प्रार्थी
2. मौहम्मद इकबाल — अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2
3. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 10.05.2017

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 30/2016 बउनवानी धन्ना बनाम हेमराज वगैरह विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी विपक्षी संख्या 2 व 3 से साठं–गांठ कर प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णय करने पर आमादा है। विपक्षीगण के अधिवक्ता को प्रार्थीगण द्वारा पूर्व पेशी पर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते हुए देखा गया तथा लगभग आधे घण्टे बाद वे चैम्बर से निकले तो पीठासीन अधिकारी साथ ही थे। उसी शाम को अप्रार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा गांव में उपरोक्त वाद उनके पक्ष में निर्णित होने की चर्चा की गई। दिनांक 16.01.2017 को पीठासीन अधिकरी द्वारा प्रार्थीगण पर प्रकरण में उसी दिवस को बहस करने हेतु दवाब डाला जबकि प्रकरण वर्ष 2016 का ही है तथा इससे पूर्व के कई प्रकरण उनके समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कुछ राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर पीठासीन अधिकारी नाराज हो गए तथा आगामी पेशी दिनांक 18.01.2017 नियत कर न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त प्रकरण में बहस कर लो अन्यथा मै स्वयं ही इस प्रकरण का निस्तारण कर दूंगा, चाहे तुम बहस करो या नहीं। पीठासीन अधिकारी के इस रवैये से प्रार्थीगण को पूर्ण आभास हो गया कि पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर अन्य प्रकरण से हटकर उक्त प्रकरण में नजदीक तारीखें देकर जल्दबाजी में प्रकरण को विपक्षी के पक्ष में निर्णित किये जाने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी एव अन्य को न्याय का आभास नहीं होने से यह मुन्तकिली प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्री अशोक कुमार उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 30/2016 बउनवानी धन्ना बनाम हेमराज को अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उप खण्ड अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई तथा अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

10/5/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 30/2016 बउनवानी धन्ना बनाम हेमराज वगैरह विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी विपक्षी संख्या 2 व 3 से साज–बाज कर प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णय करने पर आमादा है। विपक्षीगण के अधिवक्ता को प्रार्थीगण द्वारा पूर्व पेशी पर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते हुए तथा आधे घण्टे बाद चैम्बर से साथ ही निकलते देखा गया। उसी शाम को अप्रार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा गांव में उपरोक्त वाद उनके पक्ष में निर्णित होने की चर्चा की गई। दिनांक 16.01.2017 को पीठासीन अधिकरी द्वारा प्रार्थीगण पर उक्त प्रकरण में उसी दिन बहस करने हेतु दवाब बनाया। जबकि उक्त प्रकरण वर्ष 2016 का ही है तथा इससे पूर्व के कई प्रकरण उनके समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कुछ राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर पीठासीन अधिकारी नाराज हो गए तथा आगामी पेशी दिनांक 18.01.2017 नियत कर न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त प्रकरण में बहस कर लो अन्यथा मै स्वयं ही इस प्रकरण का निस्तारण कर दूंगा, चाहे तुम बहस करो या नहीं। पीठासीन अधिकारी के इस रवैये से प्रार्थीगण को पूर्ण आभास हो गया कि पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर अन्य प्रकरण से हटकर उक्त प्रकरण में नजदीक तारीखें देकर जल्दबाजी में प्रकरण को विपक्षी के पक्ष में निर्णित किये जाने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी एव अन्य को न्याय का आभास नहीं होने से यह मुन्तकिली प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्री अशोक कुमार उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 30/2016 बउनवानी धन्ना बनाम हेमराज को अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को स्थानान्तरित करने बाबत प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के कारण उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं0 एक, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा प्रेषित टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को सिरे से नकारते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91, 92 (अ) बउनवानी धन्ना वगै0 बनाम हेमराज वगै0 प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी सं0 01 की विपक्षीगण के अधिवक्ता से कोई बात–चीत नहीं हुई एवं ना ही वे अप्रार्थी सं0 01 के चैम्बर में बैठे। साज–बाज होने के कथन मिथ्या है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा किसी प्रकार का कोई दवाब बहस हेतु नहीं बनाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश किया जिसमें वादी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करनी चाही। जिसके पश्चात उक्त प्रकरण में बहस हेतु दिनांक 30.12.2016 नियत की गई तथा 30.10.2016 के पश्चात नियत दिनांक 16.1.2017 को दोनो पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रकरण वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र हेतु नियत किया गया। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं पारदर्शिता के रूप में प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई की गई। प्रार्थीगण का आरोप बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से अस्वीकार्य है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब कारित करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्तनीय है। फिर भी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

10/01/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ से प्राप्त टिप्पणी का मय पत्रावली अवलोकन किया। न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये। किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है। परन्तु इसी के साथ साथ निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों का समय समय पर निस्तारण करने का भी न्याय प्रशासन का अहम कर्त्तव्य है। इस परिपेक्ष्य में किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करें। प्रार्थी, पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थना पत्र अनुसार लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। प्रार्थना पत्र के साथ किसी स्वतन्त्र गवाह/गवाहों के शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र कथनों की ताईद में संलग्न नहीं किये गये है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/05/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner